न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 578/2022

अनवान : –

1. ज्याना देवी पत्नी लुणाराम जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राकेश पुत्र स्व0 सुशीला पुत्री लूणाराम पत्नी इन्द्र मोहन जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रविन्द्र पुत्र स्व0 सुशीला पुत्री लूणाराम पत्नी इन्द्र मोहन जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कंचन पुत्री स्व0 सुशीला पुत्री लुणाराम पत्नी इन्द्र मोहन जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रींगगानगर।
4. धर्मपाल पुत्र फुसाराम जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजूराम पुत्र धर्मपाल जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. मखनलाल पुत्र स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
8. चरणसिंह पुत्र स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
9. दीपाराम पुत्र स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
10. गिरदावरी पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
11. मोनिका पुत्री कमला पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
12. सुनील पुत्र कमला पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
13. अनिल पुत्र कमला पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –19/03/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228/224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि तथा इसी प्रकार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395/394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782/13205 [illegible] मुस्सी फुसा पुत्र श्योजी जाति धानक निवासी जबरासर तहसील के कब्जा [illegible] राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested

मुस्सी फुसा उर्फ फुसाराम [illegible] धानक निवासी जब[illegible] तहसील नोहर ने खसरा नम्बर 951 की 24 बिघा 1 बिस्वा व खसरा न0 967 की 5 बिस्वा कुल 24 बिघा 6

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बिस्वा भूमि वाके रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर व खसरा न0 947 की 52 बिघा 5 बिस्वा में से अपना 220 हिस्सा यानि 11 बिघा वाके रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर अपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि अपने हयात में दिनांक 07.12.1990 को स्वेच्छा से होश व हवाश में उक्त वाद भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत अपनी पूत्रवधू श्रीमति ज्यानादेवी वादिया में पक्ष में करवा दी तथा यह उसकी अन्तिम वसीयत थी। फुसा पुत्र श्योजी जाति धानक का दिनांक 04.01.2002 को देहान्त हो चुका है तथा उसकी कुल वादग्रस्त भूमि की हकदार उक्त वसीयत के आधार पर वादिया ज्याना देवी है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228／224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि तथा इसी प्रकार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395／394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782／13215 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुसा पुत्र श्योजी के नाम दर्ज है। श्योजी के देहांत के बाद फुसा पुत्र श्योजी द्वारा दिनांक 07.12.1990 को वादीया के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड के आधार पर वादीया उक्त वाद भूमि की खातेदार काश्तकार है। अतः वादीया अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबंदी दुरूस्त करवा वादग्रस्त भूमि वसीयत दिनांक 07.12.90 के आधार पर अपने आप को खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है तथा मृतक वसीयतकर्ता का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक वसीयत दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 ने राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228／224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि तथा इसी प्रकार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395／394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782／13215 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुसा पुत्र श्योजी के नाम दर्ज है, उक्त वाद भूमि में फुसा पुत्र श्योजी का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228／224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि मुताबिक वसीयत वादीया ज्याना देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395／394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782／13215 हिस्सा यानि 11 बिघा यानि 2.782 हैक्ट भूमि में से वादीया को 1.517 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.265 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज [illegible] जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री परसाराम पुत्र दानाराम जाति धाणक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

निवासी राणीसर के बयान लिये किये जो की बाद तस्दीक शामिक मिसल किये। गवाहान द्वारा बयान तस्दीक करवायें गये की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयत में ए से बी फुसाराम के हस्ताक्षर है तथा सी से डी रामलाल के हस्ताक्षर है एवं ई से एफ मुझ बयानकर्ता के अंगुठा का निशान है। वसीयत की गई वाद भूमि पर कोई विवाद नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी वसीयत दिनांक 07.12.1990 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395/394 सम्वत 2075–78, व खाता संख्या 228/224 प्रदर्श–2 ता 3, आधार कार्ड प्रदर्श–4, 4ए, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक फुसाराम पुत्र श्योजीराम प्रदर्श–5, आदि प्रदर्शित करवाये व वारिसान बाबत सदस्य प्रमाण पत्र पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि फुसा पुत्र श्योजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कि फुसा पुत्र श्योजी ने अपने जीवन काल में दिनांक 07.12.90 को खसरा नम्बर 951 की 24 बिघा 1 बिस्वा व खसरा न0 967 की 5 बिस्वा कुल 24 बिघा 6 बिस्वा भूमि वाके रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर व खसरा न0 947 की 52 बिघा 5 बिस्वा में से अपना 220 हिस्सा यानि 11 बिघा वाके रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर अपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि अपने हयात में दिनांक 07.12.1990 को स्वेच्छा से होश व हवाश में उक्त वाद भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत अपनी पूत्रवधू श्रीमति ज्यानादेवी वादिया में पक्ष में करवा दी तथा यह उसकी अन्तिम वसीयत थी। वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज की जावे। वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228/224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि मुताबिक वसीयत वादीया ज्याना देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395/394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782/13215 हिस्सा यानि 11 बिघा यानि 2.782 हैक्ट भूमि में से वादीया को 1.517 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.265 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम पक्षकारान सहमत है अर्थात वाद भूमि के संबंध मे किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीया डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228/224 की कुल 6.1460 [illegible] [illegible] तथा इसी प्रकार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395/394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782/13215 हिस्सा कृषि भूमि मुस्सी फुसा पुत्र श्योजी जाति ध[illegible]क निवासी जबरासर तहसील के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रदर्श–5 मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है कि फुसाराम पुत्र श्योजीराम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 17.12.2001 को देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपी रजिस्टर्ड वसीयत ईएक्सपी–2 से साबित है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228/224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि तथा इसी प्रकार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395/394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782/13215 हिस्सा भूमि की दिनांक 7.12.1990 को फुसा पुत्र श्योजी ने अपनी पुत्र वधु ज्यानादेवी के पक्ष मे एक रजिस्टर्ड वसीयत करवायी थी जो कि उपपंजीयक नोहर द्वारा पंजीकृत है। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री परसाराम पुत्र दानाराम जाति धाणक निवासी राणीसर के बयान लिये किये की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228/224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि मुताबिक वसीयत वादीया ज्याना देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395/394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782/13215 हिस्सा यानि 11 बिघा यानि 2.782 हैक्ट भूमि में से वादीया को 1.517 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.265 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम पक्षकारान सहमत है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228/224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि में फुसा पुत्र श्योजी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395/394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782/13215 हिस्सा भूमि में फुसा पुत्र श्योजी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1.517 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.265 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढवाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 578 / 2022

अनवान : –

1. ज्याना देवी पत्नी लुणाराम जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राकेश पुत्र स्व0 सुशीला पुत्री लूणाराम पत्नी इन्द्र मोहन जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रविन्द्र पुत्र स्व0 सुशीला पुत्री लूणाराम पत्नी इन्द्र मोहन जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कंचन पुत्री स्व0 सुशीला पुत्री लुणाराम पत्नी इन्द्र मोहन जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रींगगानगर।
4. धर्मपाल पुत्र फुसाराम जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजूराम पुत्र धर्मपाल जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. मखनलाल पुत्र स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
8. चरणसिंह पुत्र स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
9. दीपाराम पुत्र स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
10. गिरदावरी पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
11. मोनिका पुत्री कमला पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
12. सुनील पुत्र कमला पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।
13. अनिल पुत्र कमला पुत्री स्व0 मीरा जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 578 सन 2022 निर्णय दिनांक....... 19/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 228 / 224 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि में फुसा पुत्र श्योजी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 395 / 394 की कुल 13.2150 हैक्ट भूमि मे से 2782 / 13215 हिस्सा भूमि में फुसा पुत्र श्योजी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1.517 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.265 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष [illegible] अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर